GA-1199
05/04/21

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या– 955 /सत्तर–3–2021–08(20)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

03 APR 2021
196

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊ: दिनॉक 01 अप्रैल, 2021

कुल सचिव का कार्यालय
डाक प्राप्ति
संख्या 228
तिथि 03/04/21
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ–226007

विषय:–कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के आदेश संख्या–891/सत्तर–3–2021–08(20)/2020, दिनांक 23, मार्च, 2021 के अनुक्रम में गृह (गोपन) अनुभाग–3 के पत्र संख्या–600/2021–सीएक्स–3, दिनांक 26, मार्च, 2021 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत माह अप्रैल में प्रदेश स्थित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान के संचालन विषयक निर्णय, सम्बन्धित कुलपति की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिये जायेंगे। यदि स्थलीय परिस्थितियों के दृष्टिगत कुलपति एवं जिलाधिकारी द्वारा किसी शिक्षण संस्थान को किसी अवधि के लिए भौतिक रूप से बन्द करने का निर्णय लिया जाता है, तो वह निम्न शर्तों के अधीन होगा:–

A.R(G.A)
03/04

1. स्थानीय स्तर पर निर्धारित अवधि में कक्षायें/शिक्षण कार्य संस्थान परिसर में न होकर ऑनलाइन संचालित किए जायेंगे।
2. जिन संस्थानों में परीक्षायें/प्रयोगात्मक परीक्षायें गतिमान हैं, वहां पर निर्धारित परीक्षायें/प्रयोगात्मक परीक्षायें यथावत संचालित की जायेंगी। समय–समय पर निर्गत कोविड–19 एस0ओ0पी0 (मानक संचालन प्रकिया) मास्क का अनिवार्य प्रयोग, शारीरिक दूरी बनायें रखना, परिसर को सेनेटाइजेशन एवं अन्य दिशा–निर्देशों का सदैव कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :–

Registrar

(1) कोविड–19 से सम्बन्धित अपेक्षित आचरण/कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु तथा मास्क पहनने, हाथो की स्वच्छता व सामाजिक दूरी के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु समुचित उपाय किए जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को परीक्षा की हर पाली से पूर्व पूर्ण रूपेण सेनेटाईज किया जाए।

(3) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ–साथ

01/04/21

——2

P.T.O.

हैण्डवाश/हैण्ड सेनेटाईज कराने के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। संस्थान में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार है तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

(4) परिसर में अन्दर–बाहर आने–जाने वालों के लिये कतार का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाय जिसमें छः फीट की दूरी पर विशिष्ट चिन्ह बनाया जाय।

(5) बायोमैट्रिक्स उपस्थिति के बजाय सम्पर्क रहित उपस्थिति के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जाय।

(6) संस्थान में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस हेतु पूर्व से ही अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाये।

(7) क्लास रूम में छात्रों को 06 फीट की दूरी पर बैठाते हुए सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(8) शिक्षकों/छात्रों/कार्मिकों के लिए रूमाल/टिशू पेपर या कोहनी में खांसने या छींकने तथा चेहरा, आंख, मुंह, नाक और कान को छूने से बचने हेतु जागरूक किया जाय।

(9) सफाई स्टाफ/कार्मिकों के लिए आवश्यक उपकरण जैसे दस्ताने, फेस कवर/मास्क,हाथ धोने का साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

(10) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को परीक्षा की हर पाली से पूर्व सेनेटाईजर, हैण्डवाश, थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खासी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाय। छात्रों और स्टाफ में कोविड के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल उसकी जाँच करायी जाय और परिणाम का अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जाय।

(11) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में कोई विद्यार्थी यदि कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी प्रोटोकाल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(12) दूसरों के साथ भोजन और बर्तन साझा करने से बचने के लिए संस्थानों में सभी छात्र–छात्राओं/शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाय।

(13) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में किसी भी बाहरी विक्रेता को परिसर के भीतर या प्रवेश द्वार/बिन्दु पर कोई भी खाने की चीज बेचने की अनुमति प्रदान न की जाय।

3– उक्त के अतिरिक्त गृह (गोपन) अनुभाग–3 के संलग्न पत्र दिनांक 26.032021 में उल्लिखित टेस्ट–ट्रैक–ट्रीट प्रोटोकाल/टीकाकरण का एवं उसके साथ गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.03.2021 को निर्गत दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 955 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
8– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या–600/2021–सीएक्स–3

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी।
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

अपर मुख्य सचिव कार्यालय में प्राप्त दिनांक 30/03/2021

गृह (गोपन) अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक: 26 मार्च, 2021

विषय:– कोविड–19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020–DM-I(A), दिनांक 23.03.2021 द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स का अनुपालन किये जाने के संबंध में।

संख्या: 5632 /VIP-PSHED/2020

वि० स० (YDT)

30/03/2021
(मोनिका एस० गर्ग)
अपर मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

महोदय,

कोविड–19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020–DM-I(A), दिनांक 23.03.2021 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

2. अवगत कराना हैं कि कोविड–19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में 05 महीनों तक लगातार गिरावट आने के उपरान्त अब कुछ सप्ताहों से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में पुनः सामान्य स्थिति बहाल किये जाने के लिए महामारी के संचरण की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व आदेश दिनांक 27.01.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के साथ सभी आर्थिक और अन्य गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से इस शर्त के साथ खोला गया कि निर्धारित मानक संचलन प्रकिया (एस०ओ०पी०) का सावधानीपूर्वक पालन किया जाये। उक्त गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालित रखे जाने के लिए देश के सभी हिस्सों में टेस्ट–ट्रैक–ट्रीट प्रोटोकाल को सख्ती से लागू करने, कोविड–19 के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन करने एवं टीकाकरण अभियान को तेजी से बढ़ाये जाने की अनिवार्य आवश्यकता है।

300 (YDT)/2021
उपसचिव (H)

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 के प्रसार पर प्रभावी पूर्ण नियंत्रण हेतु दिनांक 01.04.2021 से 30.04.2021 तक के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देश प्रभावी करते हुए उनका अनुपालन कराये जाने की अनिवार्य आवश्यकता है :–

30/03/2021
(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उ० प्र० शासन

टेस्ट–ट्रैक–ट्रीट प्रोटोकाल को प्रभावी रूप से लागू किया जाना

टेस्ट

1. कोविड–19 के जो परीक्षण किए जा रहे हैं, वे सभी जिलों में समान रूप से किए जाएं और जिन जनपदों में अधिक संख्या के मामलों की रिपोर्टिंग पायी जाये, उनमें अधिक संख्या में पर्याप्त परीक्षण किये जाये। आरटी–पीसीआर परीक्षणों को बेहतर प्रयासों के साथ बढ़ाकर उनका अनुपात 70 प्रतिशत या उससे अधिक किया जाये।

So-3

ट्रैक

2. गहन परीक्षण के परिणामस्वरूप पाये गये नये कोविड पॉजटिव केसों को तत्काल क्वारंटाइन किया जाय एवं उनके सम्पर्क में आये व्यक्तियों का शीघ्रातिशीघ्र पता लगाकर उन्हें भी क्वारंटाइन किया जाये। कन्टेनमेन्ट जोन का सीमांकन किया जाय और रोकथाम के निर्धारित उपायों को इन क्षेत्रों में लागू किया जाय।

30.3.21
(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

3. संवेदनशील एवं ज्यादा घटना वाले क्षेत्रों में कन्टेनमेन्ट जोन का प्रभावी सीमांकन, वायरस को फैलने से रोकने एवं उसको नियंत्रित करने का प्रभावी उपाय है। कन्टेनमेन्ट जोन का सीमांकन, जिला प्रशासन द्वारा सूक्ष्म स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। कन्टेनमेन्ट जोन की सूची वेबसाइट पर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाये। साथ ही इस सूची को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से भी नियमित रूप से साझा किया जाये।

4. चिन्हित कन्टेनमेन्ट जोन के भीतर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए रोकथाम के उपायों को निम्नानुसार सुनिश्चित करना होगा :–

(1) कन्टेनमेन्ट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी जाये।

(2) आपातकालीन चिकित्सा, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के सिवाय कन्टेनमेन्ट जोन के व उसके बाहर के लोगों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाये।

(3) इस उद्देश्य के लिए सर्विलांस टीमों द्वारा घर–घर गहन निगरानी की जाये।

(4) निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार परीक्षण किया जाये।

(5) कोविड से ग्रसित व्यक्तियों के सम्पर्क में आये हुए लोगों की एक सूची तैयार की जाये और उनके ट्रैकिंग, पहचान के साथ उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाय (सम्पर्क में आए 80 प्रतिशत व्यक्तियों को 72 घण्टों में पता लगाकर सूचीबद्ध किया जाय)।

(6) बफर जोन्स में ILI/SARI मामलों की निगरानी स्वास्थ्य सुविधाओं या आउटरीच मोबाइल इकाइयों अथवा फीवर क्लीनिक के माध्यम से की जाये।

(7) स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन, पुलिस और नगरपालिका के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित कन्टेनमेन्ट मानकों का कड़ाई से पालन किया जाय।

ट्रीट

5. कोविड–19 मरीजों का त्वरित आइसोलेशन उपचार की सुविधाओं के साथ सुनिश्चित किया जाय (होम आइसोलेशन की गाइडलाइन्स का कड़ाई से पालन किया जाय)।

6. चिकित्सीय सुविधाओं (Clinical interventions) को निर्देशानुसार उपलब्ध कराया जाये। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं अनुभवी व्यक्तियों की क्षमता निर्माण को सभी स्तरों पर एक सतत् अभ्यास के तहत आयोजित किया जाये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित नैदानिक प्रबन्धन प्रोटोकाल को स्पष्ट रूप से समझा एवं तद्नुसार प्रबन्धित किया गया है।

7. राज्य की सम्बन्धित एजेन्सियां इस बात को सुनिश्चित करेंगी कि कोविड हेतु समर्पित स्वास्थ्य एवं लॉजिस्टिक (औषधालय सहित) की उपलब्धता पर्याप्त हो।

8. संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संक्रमण उपचार सुविधाओं (रोकथाम एवं नियंत्रण) का पालन किया जाय ।

कोविड–19 के संबंध में अपेक्षित आचरण

9. कोविड–19 से सम्बन्धित अपेक्षित आचरण/कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु समस्त आवश्यक उपाय लागू किये जायें तथा मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी के मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाय।

10. फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निरोधक उपाय है एवं इस मूल आवश्यकता को लागू करने के लिए प्रशासनिक कार्यवाही की जाये। मास्क पहनने की अनिवार्यता के दृष्टिगत सार्वजनिक व कार्यस्थलों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर अपेक्षित अर्थदण्ड लगाने एवं अन्य प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाय।

11. भीड़–भाड़ वाले स्थलों विशेषकर बाजार, साप्ताहिक बाजार, सार्वजनिक परिवहन आदि में सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी SOP का कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।

12. वायुयान, ट्रेन व मेट्रो रेल द्वारा यात्राओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत SOP का सख्ती से अनुपालन किया जाय। बस, नाव अथवा यातायात के अन्य साधनों के विषय में भी कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. The National directives for COVID-19 Management जो संलग्नक–। के रूप में संलग्न है, का कड़ाई से पालन किया जाये।

विभिन्न गतिविधियों हेतु निर्गत एस0ओ0पी0 का पालन–

14. कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर लगभग सभी प्रकार की आर्थिक एवं अन्य गतिविधियों चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ कर दी गयी हैं। इन गतिविधियों में मुख्यतः यात्री ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राए, मेट्रो रेल, स्कूल, उच्च शैक्षणिक संस्थाएं, होटल एवं रेस्टोरेन्टस, शॉपिंग माल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, योगा केन्द्र एवं जिम, प्रदर्शनी, सभा एवं समागम आदि है तथा इनके संचालन हेतु कार्यात्मक मानक (SOP) तय किये गये हैं ।

15. कोविड–19 के प्रसार के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सम्बन्धित विभाग समय–समय पर अद्यतन होने वाली (SOP) को कड़ाई से लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगें।

टीकाकरण

16. भारत सरकार ने कोविड–19 के विरूद्ध दुनिया का सबसे विशाल टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस संदर्भ में कोविड–19 के लिए टीका प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (NEGVAC) जनसंख्या समूहों, खरीद एवं सूची प्रबंधन, वैक्सीन चयन वितरण एवं ट्रैकिंग पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। NEGVAC की संस्तुतियों को केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृत एवं अंतिम रूप दिया गया है।

17. यद्यपि टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है, किन्तु टीकाकरण की धीमी गति चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में वर्तमान परिदृश्य में कोविड–19 श्रृंखला को तोड़ने के लिए एक सुनियोजित तरीके से टीकारण की गति को तीव्र किया जाये।

स्थानीय प्रतिबन्ध

18. स्थिति के आंकलन के आधार पर जनपद/क्षेत्र , शहर/वार्ड स्तर पर स्थानीय प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं।

19. अन्तर्राज्यीय (Interstate) एवं राज्य के अन्दर (Intrastate) व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। पड़ोसी देशों के साथ की गयी संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा पार परिवहन की अनुमति होगी। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन/ई–परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील (vulnerable) व्यक्तियों की सुरक्षा

20. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह–रूग्णता (co-morbidity) अर्थात् 01 से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों को आवश्यक सावधानी वरतने की सलाह दी जाती है।

आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग

21. आरोग्य सेतु ऐप को सुसंगत मोबाइल फोन में प्रयोग में लाया जाए। आरोग्य सेतु ऐप शुरूआती संकमण के खतरे को पहचानने और संकमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है।

दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन

22. समस्त अधिकारी उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु धारा–144 सीआरपीसी–1973, का आवश्यकतानुसार प्रयोग करेंगें।

23. उपरोक्त दिशा–निर्देशों का किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा–51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा–188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। दण्डात्मक प्रावधानों के उद्धरण संलग्नक–2 में दिये गये हैं।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

26.03.21

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन